न्यायालय अन्तर्गत नीलाम पत्र पदाधिकारी, साहेबगंज
नीलाम पत्र वाद संख्या 116/13.14
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया साहेबगंज बनाम मेसर्स शिफा स्टोन वर्क्स प्रो॰ पंकज कुमार सिंह

आ दे श

1/4/15

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। बैंक के द्वारा नीलाम ऋणी, देनदार के विरूद्ध 563680.00रू0 का नीलाम वाद दायर किया गया है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् नीलाम ऋणी उपस्थित हुए एवं एक आपत्ति आवेदन दाखिल किए। देनदार के अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं बहस में अपने आपत्ति का समर्थन करते हुए कहा कि दायर नीलाम वाद कानून सही है एवं वाद समयाविध के उपरांत दाखिल किया गया है। देनदार का कहना है कि ऋण लेने के उपरांत जहाँ युनिट स्थापित करना था वहाँ नहीं कर जगह परिवर्तन के लिए कोशिश किए जिसके वजह से ऋण नहीं लौटा पा रहे है। देनदार का कहना है कि वह मांसिक रूप से पीड़ित है एवं डाक्टर द्वारा ईलाज चल रहा है। अतः ऋण लौटाने में असमर्थ हूँ एवं नीलाम वाद को खारिज करने की प्रार्थना करते हुए पुनः देनदार के अधिवक्ता के द्वारा कहा जाता है कि ऋण से संबंधित एक वाद चेक बाउंस का 138 धारा के तहत अनुमंडल न्यायायिक दंडाधिकारी, साहेबगंज के अदालत में लंबित है एवं देनदार समझौता के तहत् 3,00,000.00(तीन लाख रूपये) जमा करेगा।

दावेदार बैंक के अधिवक्ता ने अपने प्रतिउत्तर के लिखित तथ्यों को सही ठहराते हुए कहा है कि देनदार द्वारा दाखिल आवेदन कानूनी सही नहीं है और कोई कारण नहीं बनता कि व्यवसाय के लिए ऋण को नहीं लौटाए, देनदार ने पत्थर व्यवसाय के लिए ऋण लिया है एवं देनदार द्वारा लिए ऋण को स्वीकार भी किया गया हैं। देनदार के द्वारा यह आपत्ति उठाना सही नहीं है कि वह मांसिक रूप से पीड़ित है। देनदार द्वारा सिर्फ वाद को विलम्ब करने के लिए इस तरह के आपत्ति आवेदन में दर्शाया गया हैं एवं वाद दाखिल करने के लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी नीलाम राशि को लौटाने में रूची नहीं दिखा रहे है। दावेदार बैंक द्वारा देनदार के आपत्ति आवेदन को खारिज कर नीलाम राशि को सूद सहित वसूलने का आग्रह करते है। दोनों पक्षों के बहस व दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। देनदार के द्वारा दाखिल आपत्ति एवं बहस के दौरान स्वीकार किए है कि दावेदार बैंक से ऋण लिया है एवं मांसिक रूप से पीड़ित रहने के कारण ऋण राशि को नहीं लौटा पा रहे है। देनदार ऋणी ने कुछ मेडिकल कागजात प्रस्तुत किया है। लेकिन मांसिक रोग है इससे संबंधित कोई जिक्र नहीं है एवं इस आधार पर नीलाम राशि नहीं लौटाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। देनदार के अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक–14.02.2015 के आलोक में यह कहना है कि 138 एन0आई0 एक्ट से संबंधित वाद जो इसी ऋण से संबंधित है में समझौता चल रहा है एवं तीन लाख रूपये जमा करने की बात है। लेकिन देनदार द्वारा इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए है। देनदार के आपत्ति आवेदन ऋण राशि जमा नहीं करने का कोई ठोस वजह नहीं दर्शाया गया है। अतः देनदार के आपत्ति आवेदन को खारिज किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आदेश के एक महीने के अंदर ऋण राशि 12 प्रतिशत सूद के साथ जमा कर न्यायालय को सूचित करें एवं दोनों पक्षों को आदेश दिखाएं। 15/4/15

नीलाम पत्र पदाधिकारी,
साहेबगंज।

15/4/15

24/4/15

24/4/15

Digitally signed by localhost
Date: 2025.08.25 12:03:06 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner